न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
80 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	23.10.2020	18.12.2020

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री महेन्द्र मंगल पुत्र श्री नौरत मल मंगल एफ.बी.ओ. मैसर्स मंगलम टी कम्पनी कृष्णा मार्केट देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं.12 सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0
2– मैसर्स मंगलम टी कम्पनी कृष्णा मार्केट देवली जिला टोंक राज0
3–श्री मनोज कुमार कावडिया पुत्र श्री धर्मीचन्द कावडिया निवासी सुभाष मार्केट गुलाबपुरा भीलवाडा प्रोपरायटर मैसर्स अशोका ट्रेडर्स हलवाई गली गुलाबपुरा भीलवाडा राज0
4– मैसर्स अशोका ट्रेडर्स हलवाई गली गुलाबपुरा भीलवाडा राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–:

दिनांक 18.12.2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.08.2020 को समय 1.42 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मंगलम टी कम्पनी कृष्णा मार्केट देवली जिला टोंक राज0पर पहुंचां। एफ.बी.ओ की हैसियत से श्री महेन्द्र मंगल पुत्र श्री नौरत मल मंगल एफ.बी.ओ. मैसर्स मंगलम टी कम्पनी कृष्णा मार्केट देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं.12 सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **चाय कमल पॉली पैक** (Tea Kamal Poly pack) जिसके बैच नं 201 व पैकिंग दिनांक जुलाई 2020 थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर एफ.बी.ओ. श्री महेन्द्र मंगल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की [illegible] एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:28:11 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा दुकान मे 250–250 ग्राम के 16 नग पॉली पैक वाहन मे पॉलीथीन बैग **चाय कमल पॉली पैक (Tea Kamal Poly pack)** रखे हुये मे से 250–250 ग्राम के ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड 8 मूल पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री महेन्द्र मंगल को रू0 500/–अक्षरे पांच सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **चाय कमल पॉली पैक (Tea Kamal Poly pack)** 250–250 ग्राम के 8 नग कुल मात्रा 2 किलोग्राम को बराबर–बराबर (प्रत्येक भाग मे 2–2 पैकेट कुल मात्रा 500 ग्राम) अलग–अलग ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड चयन कर चार अलग–अलग साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे रखकर डिब्बो के ढक्कन को एयर टाईट बंद किया व चार साफ व सूखे कांगज के गत्ते के डिब्बो मे अलग–अलग भरकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2565 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2565 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. महेन्द्र मंगल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री महेन्द्र मंगल ने मौके पर **चाय कमल पॉली पैक (Tea Kamal Poly pack)**बतोर वारन्टी मैसर्स अशोका ट्रेडर्स हलवाई गली गुलाबपुरा भीलवाडा राज0का बिल/इन्वॉइस नं. 210 दिनांक 29.07.2020 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/3036 दिनांक 07.09.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1153/एक्ट/2020/1229 दिनांक 24.0... अनुसार महेन्द्र मंगल से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया चाय कमल पॉली पैक (Tea Kamal Poly pack) खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:28:11 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded)का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का **चाय कमल पॉली पैक** (Tea Kamal Poly pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **चाय कमल पॉली पैक** (Tea Kamal Poly pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **चाय कमल पॉली पैक** (Tea Kamal Poly pack) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री महेन्द्र मंगल पुत्र श्री नौरत मल मंगल एफ.बी.ओ. मैसर्स मंगलम टी कम्पनी कृष्णा मार्केट देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं.12 सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 पर शास्ति 25,000 (अक्षरे पच्चीस हजार रू0) अप्रार्थी श्री मनोज कुमार कावडिया पुत्र श्री धर्मीचन्द कावडिया निवासी सुभाष मार्केट गुलाबपुरा भीलवाडा प्रोपरायटर मैसर्स अशोका ट्रेडर्स हलवाई गली गुलाबपुरा भीलवाडा राज0पर शास्ति 25,000 (अक्षरे पच्चीस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 18.12.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:28:11 IST
Reason: SelfAttested

1157

Scanned by CamScanner